न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. पदमसिंह पिता उमसिंह रावत निवासी नाबरी तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजुसिंह पिता उमसिंह रावत निवासी नाबरी तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
3. हजारी पिता लालसिंह रावत निवासी नाबरी तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. भजाराम पिता मियाचन्द कलाल निवासी मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी भीम दिनांक 10.03.2023 प्रकरण संख्या 157/2022 वाद पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री गिरीश चन्द पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थीगण
2– श्री अनिल बागोरा राजकीय पेरोकार

———::———

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाबरी तहसील भीम में वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की निम्न भूमि [illegible] 1763 रकबा 1.1736 हैक्टेयर भूमि मौजा नाबरी चकला [illegible] [illegible]सील भीम की खतौनी जमाबन्दी जिला मेवाड़ [illegible] 1350 [illegible] कि वर्तमान में मौजा नाबरी तहसील [illegible] स्थित है। उपरोक्त जमाबन्दी के खेवट संख्या 120 की सिलसिला [illegible]र खाता खतौनी संख्या 145 साबिक नम्बर 1392 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वांशी भूमि तथा खतौनी संख्या 53 साबिक नम्बर 1391 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:52 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

खेवट में शामलात दर्ज थी, जो भाई बंटवारे में पदमसिंह, राजूसिंह पुत्र उमसिंह, हजारीसिंह पुत्र लालसिंह के हिस्से में आयी थी, जिस पर उनका कब्जा होने से धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। पदमसिंह, राजूसिंह व हजारीसिंह द्वारा दिनांक 09.10.1971 को उक्त साबिक आराजी नम्बर 1391 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं 1392 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वांशी भूमि नाथूसिंह पिता रूपसिंह व वादी भजाराम पिता मियाचन्द को 400/—रुपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे है, किन्तु उक्त साबिक आराजी नम्बर 1391 के सेंटलमेंट में आराजी नम्बर 1763 बने उसमें उक्त साबिक आराजी नम्बर 1391 का रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा कर दिया गया, जबकि साबिक आराजी नम्बर 1392 के सेंटलमेंट मे आराजी नम्बर 1761 बने जिसका रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कर दिया गया। इस प्रकार साबिक नम्बर 1392 की 2 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि सेंटलमेंट के दौरान नये नम्बर 1763 में मिला दिये गये, जबकि सेंटलमेंट से पहले उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1391 व 1392 का 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार पदमसिंह वगैहरा द्वारा वादी को विक्रय कर कर्जा सुपुर्द कर दिया गया था। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर हाल आराजी नम्बर 1763 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार भीम द्वारा आराजी नम्बर 1763 में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजी नम्बर 1763 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.05.2024 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुये। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द [illegible] उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया [illegible] उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:52 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की दिनांक 26.01.2024 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द करने की धमकी दी तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई अतः देरी को क्षमा किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पूर्व में अपीलान्टगण को जानकारी होनें की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि विवादित आराजियात अपीलान्टगण के स्वामित्व आधिपत्य की होकर अपीलान्टगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं वादी/रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि हाल अपीलान्टगण से क्रय करने का कथन किया है, जबकि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपीलान्टगण प्रथम दृष्टया हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना की जाती है।

9. गुणावगुण कर बहस करते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा बिना वाद के साबित कराये मात्र तहसीलदार की सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. हमने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 09.10.1971 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साबिक आराजी नम्बर 1391, 1392 कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का विक्रय पदमसिंह, राजूसिंह व हजारीसिंह [illegible] पिता रूपसिंह व वादी भजाराम पिता मियाचन्द को किया गया है। उक्त विक्रय पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श नहीं किया गया है एवं मात्र फोटो प्रति है तथा विक्रेता पदमसिंह, राजूसिंह व हजारीसिंह को विवादित आराजी विक्रय करने का अधिकार था या नहीं इस बाबत् भी वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(राज.)

सके कि विक्रेतागण वक्त विक्रय विवादित भूमि के खातेदार थे। वादी/रेस्पोडेन्ट ने उक्त साबिक आराजी नम्बर 1391, 1392 से हाल आराजी नम्बर 1763 बनना बताया है, किन्तु इस बाबत् कोई मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हाल आराजी नम्बर 1763 साबिक आराजी नम्बर 1391, 1392 से बने हो। वर्तमान में हाल आराजी नम्बर 1763 बिलानाम सरकार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसीलदार भीम की सहमति के आधार पर रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद डिक्री कर दिया है, जबकि इस बाबत् वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, न ही अधीनस्थ न्यायालय ने किसी पक्षकार के बयान इत्यादि कराये हैं। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.03.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलान्टगण को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के रूप में संस्थित कर एवं उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:49:52 IST
Reason: SelfAttested